राजस्व लोक अदालत कैम्प वर्ष-2016

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प, मुख्यालय सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व विविध सं. : 43/2014
दायरा तिथि : 02.07.2014
आदेश तिथि : 20.05.2016

प्रार्थी

दुर्जनसिंह पुत्र शंभुसिंह
राजपुत, निवासी गलथनी
तहसील सुमेरपुर, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रेमसिंह पुत्र रूपसिंह
2. लालसिंह के का.मु
   2.1 गेंर कंवर बेवा लालसिंह
   2.2 वीरसिंह पुत्र लालसिंह
   2.3 गणपतसिंह पुत्र लालसिंह
   2.4 माधोसिंह पुत्र लालसिंह
3. लीलाकंवर पत्नी माधोसिंह
4. सज्जनकंवर पत्नी गणपतसिंह
5. दयालकंवर पत्नी माधोसिंह
6. भंवरसिंह पुत्र हरिसिंह
7. शंभुसिंह के का.मु. बिलनकौर बेवा शंभुसिंह
8. भीखसिंह पुत्र धुलसिंह
9. रतनसिंह पुत्र सोहनसिंह
10. मंगलसिंह के का.मु.
    10.1 सायरकंवर बेवा मंगलसिंह
    10.2 नारायणसिंह पुत्र मंगलसिंह
    10.3 लाबुसिंह पुत्र मंगलसिंह
11. बिडदसिह के का.मु
    11.1 अनोपसिंह पुत्र बिडदसिंह के का.मु.
    11.1.1. मदनसिंह पुत्र स्व.अनोपसिंह
    11.1.2. हडमसिंह पुत्र स्व.अनोपसिंह
    11.1.3. श्यामकुंवर पुत्री स्व. अनोपसिंह
    11.1.4. प्रकाशकुंवर पुत्री स्व.अनोपसिंह
    11.1.5. छगनकुंवर पुत्री स्व.अनोपसिंह
    11.2. सुल्तानसिंह पुत्र बिडदसिंह के का.मु
    11.2.1 सुमेरसिंह पुत्र स्व. सुल्तानसिंह
    11.2.2 जेठकंवर पुत्री स्व. सुल्तानसिंह
    11.2.3 गुलाबकंवर पुत्री स्व. सुल्तानसिंह
    11.2.4 संतोषकुवर पत्नी स्व. सुल्तानसिंह
    11.2.5.विमलाकुंवर पुत्री स्व. सुल्तानसिंह
12. गोपसिंह के का.मु.
    12.1 जसवंतसिंह पुत्र गोपसिंह
    12.2 गजेन्द्रसिंह पुत्र गोपसिंह
    12.3 भंवरसिंह बेवा गोपसिंह
13. वीरसिंह पुत्र लालसिंह

तमाम जातिगण राजपुत,
निवासीगण गलथनी
तहसील सुमेरपुर, जिला–पाली

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) सुमेरपुर, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान आर.टी. एक्ट , 1955

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ललकारसिंह राणावत व इन्द्रसिंह मेडतिया उपस्थित।

–: आदेश :–

आदेश तिथि :– 20.05.2016

यह है कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली लोक अदालत फॉलोअप केम्प मुख्यालय सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान व उनके अधिवक्ता तथा तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर उपस्थित। हमने, उभयपक्षीय बहस व दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति यह है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 13 के विरूद्ध संयुक्त कब्जे वाली वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा गलथनी तह. सुमेरपुर में स्थित खसरा नं. 377 रकबा 2.70 हेक्टर, खसरा नं. 378 रकबा 0.94 हेक्टर किस्म चाही प्रथत जाव अव्वल, खसरा नं. 379 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म गै.मु. बेरा , कुल खसरा तीन कुल रकबा 3.67 हेक्टर भूमि बाबत् वादपत्र द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्ति करने की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा गया है, साथ ही प्रश्नगत् भूमि से संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त करना चाहा गया है। इस पत्रावली पर उपलब्ध तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत प्रश्नगत् प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, असुविधा का संतुलन व असाध्य क्षति जैसे कानूनी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे बनने प्रतीत होते हो। फलतः उपरोक्त कानूनी बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण अपने पक्ष मे सिद्ध नहीं कर पाया है और इस विधिक स्थिति में हमारे मतानुसार प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नही होने से इसे खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचनाओं के परिणाम स्वरूप सरहद मौजा गलथनी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 377 रकबा 2.70 हेक्टर, खसरा नं. 378 रकबा 0.94 हेक्टर किस्म चाही प्रथत जाव अव्वल, खसरा नं. 379 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म गै.मु. बेरा कुल खसरा तीन कुल रकबा 3.67 हेक्टर भूमि से संबंधित प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा व रिसिवर नियुक्ति के बारे मे कथित प्रार्थना पत्र प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश बरोज आज दिनांक 20.05.2016 को लोक अदालत फॉलोअप केम्प मुख्यालय सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी * (राजस्व) सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner